संख्या–315/पचासी–2010–10(परती भूमि)/08टीसी(क)

प्रेषक,

एस0एन0 पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 भूमि सुधार निगम,
गोमतीनगर, लखनऊ।

परती भूमि विकास अनुभाग लखनऊः दिनांक 05 मई, 2010

विषय–उ0प्र0 भूमि सुधार निगम द्वारा संचालित उ0प्र0 सोडिक लैण्ड रिक्लेमेंशन परियोजना–III के कार्यान्वयन हेतु निगम की सेवा नियमावली के अन्तर्गत सृजित विभिन्न श्रेणी के कुल 29 पदों को प्रतिनियुक्ति से भरे जाने हेतु।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रों कमशः पत्र संख्या–859/कार्मिक–2/09 दिनांक 09 दिसम्बर, 2009, पत्र संख्या–1ए/186/2009–02/890 दिनांक 02 जनवरी, 2010 और पत्र संख्या–1ए/186/2007/09/772 दिनांक 25 जनवरी, 2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 भूमि सुधार निगम के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल आफ एसोसियेशन के अनुच्छेद–110 के अन्तर्गत उ0प्र0 सोडिक लैण्ड रिक्लेमेंशन परियोजना–तृतीय (विश्व बैंक द्वारा सहायतित)के कार्यान्वयन हेतु उ0प्र0 भूमि सुधार निगम की सेवा नियमावली के अन्तर्गत पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने हेतु सृजित निम्नलिखित विभिन्न श्रेणी के कुल 29 पदों को प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाने की अनुमति शासन द्वारा प्रदान की जाती है:–

कमांक	पदनाम	वेतनमान (रूपये में)	पदों की संख्या
1.	प्रबन्धक, वित्त	8000–13500	01
2.	प्रबन्धक, प्रशासन	8000–13500	01
3.	लेखाकार	5000–8000	01
4.	वरिष्ठ उप प्रबन्धक	5000–8000	03
5.	उप प्रबन्धक	5000–8000	15
6.	वैयक्तिक सहायक	5000–8000	01
7.	वरिष्ठ सहायक	3285–5070	07
	योग–		29

2. उपर्युक्त विभिन्न श्रेणी के कुल 29 पदों को निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रतिनियुक्ति से भरा जायेगाः–

(क) प्रतिनियुक्ति केवल योजनावधि के लिए है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व मे इन पदों को किसी अन्य शासनादेश के द्वारा निरस्त तो नही किया गया है।

(ख) पैतृक विभाग, जहाँ से कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लिया जायेगा वहाँ प्रतिनियुक्ति के फलस्वरूप रिक्त हुए पदों पर पैतृक विभाग द्वारा कोई तैनाती नहीं की जायेगी और रिक्त पद स्थगित रखा जायेगा जब तक कि कर्मचारी निगम में प्रतिनियुक्ति पर रहता है।

(ग) प्रतिनियुक्ति पर तैनाती करते समय परती भूमि विकास विभाग के शासनादेश संख्या–03/पचासी–10(परती भूमि)/08 टी0सी0 दिनांक 02–01–2009 और शासन द्वारा समय–समय पर प्रतिनियुक्ति पर तैनाती के सम्बन्ध में निर्गत आरक्षण सम्बन्धी अन्य शासनादेशों/नियमों/अधिनियमों के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(घ) प्रतिनियुक्ति सुसंगत शासकीय नियमों/आदेशों/जारी प्रतिनियुक्ति की शर्तो के अधीन की जायेगी।

(ङ.) प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनाती केवल परियोजना अवधि तक के लिए ही की जायेगी।

(च) श्रेणी–2 व उससे उच्च पदों पर नियुक्ति /तैनाती के लिए चयन समिति का निर्धारण शासन द्वारा प्रचलित नियमों के अनुसार किया जाय।

3– उपरोक्तानुसार मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि अभीष्ट चयन/तैनाती की कार्यवाही यथानिर्देश कराने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(एस0एन0 पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या–315(1)/पचासी–2010–तद्दिनांक–

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम)/लेखा परीक्षा (प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
3– प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
5– स्टाफ आफिसर एवं विशेष सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
6– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–1
7– अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश)
अनु सचिव।